Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में स्थानीय शासन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

विनोद कुमार विश्नोई *

*** एम.ए. नेट (राजनीति विज्ञान) ग्राम - समेलिया, पोस्ट घोड़ास, तह. मांडल, जिला भीलवाड़ा (राज.) भारत**

प्रस्तावना – भारत, अपनी विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के साथ, स्थानीय शासन (Local Governance) को लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में स्थापित करता है। स्थानीय शासन का अर्थ है शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जिससे ग्रामीण और शहरी समुदाय अपने विकास और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी कर सकें। भारत में स्थानीय शासन की दो प्रमुख प्रणालियाँ हैं। पंचायती राज व्यवस्था (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) और नगरपालिका प्रणाली (शहरी क्षेत्रों के लिए)। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) ने इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा मिला।

यह रिसर्च पेपर भारत में स्थानीय शासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक ढांचे, कार्यान्वयन की चुनौतियों, और सुधार की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। विशेष रूप से, केरल और राजस्थान के उदाहरणों के माध्यम से स्थानीय शासन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, और डिजिटल इंडिया जैसी नई विकास नीतियों के प्रभाव और 2025 तक के संदर्भों को शामिल किया जाएगा। पेपर का उद्देश्य यह समझना है कि स्थानीय शासन भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कैसे सशक्त करता है और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिभारत में स्थानीय शासन की जड़ें प्राचीन काल में मिलती हैं। वैदिक साहित्य में ग्राम सभा और ग्रामिणी का उल्लेख मिलता है, जो स्थानीय प्रशासन की इकाइयाँ थीं। मौर्य और गुप्त काल में भी स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्थाएँ थीं। मध्यकाल में, मुगल शासन के दौरान ग्राम पंचायतें सामाजिक और प्रशासनिक विवादों को सुलझाने का माध्यम थीं। ब्रिटिश काल में, 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा शुरू किए गए स्थानीय स्वशासन के प्रयासों को आधुनिक स्थानीय शासन की शुरुआत माना जाता है। हालांकि, ये प्रयास औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर किए गए थे।

स्वतंत्रता के बाद, भारत ने स्थानीय शासन को पुनर्जनन करने का प्रयास किया। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन यह केंद्रीकृत दृष्टिकोण के कारण प्रभावी नहीं रहा। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, जिसे 1959 में राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया (Testbook, 2025)। 1977 में अशोक मेहता समिति और 1986 में जी.वी.के. राव समिति ने पंचायती राज को और सशक्त करने के लिए सुझाव दिए। 1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने स्थानीय शासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया, जिसने भारत की संघीय व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया (Panchayati Raj Ministry n.d.)।संवैधानिक ढांचा 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को संवैधानिक दर्जा दिया (Drishtri IAS, 2020)। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं: त्रिस्तरीय संरचनारू ग्राम पंचायत (गाँव स्तर), पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर), और जिला परिषद (जिला स्तर)।

प्रत्यक्ष चुनाव: पंचायतों के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव हर पाँच वर्ष में।

आरक्षण: अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और महिलाओं (कम से कम एक-तिहाई सीटें) के लिए आरक्षण।

राज्य वित्ता आयोग: पंचायतों को वित्तीय संसाधन आवंटित करने के लिए प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना।

11वीं अनुसूची 29 विषयों (जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य) को पंचायतों के कार्यक्षेत्र में शामिल करना।74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1 जून 1993 को लागू हुआ, जिसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया इसके प्रमुख प्रावधान हैं:

संरचना: नगर पालिका, नगर निगम, और नगर परिषद।

प्रत्यक्ष चुनाव: शहरी निकायों के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव।

आरक्षण:अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण।

12वीं अनुसूची: 18 विषयों (जैसे शहरी नियोजन, जल आपूर्ति) को नगरपालिकाओं के कार्यक्षेत्र में शामिल करना।

जिला योजना समिति: जिला स्तर पर योजनाओं के समन्वय के लिए समिति का गठन।इन संशोधनों ने भारत में स्थानीय शासन को विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक बनाने का आधार प्रदान किया।

केरल और राजस्थान में स्थानीय शासन: एक तुलनात्मक अध्ययन

केरल: विकेंद्रीकरण का मॉडल केरल भारत में स्थानीय शासन के लिए एक आदर्श माना जाता है, विशेष रूप से अपने जन योजना अभियान के कारण। 1996 में शुरू किए गए इस अभियान ने स्थानीय शासन को विकास योजनाओं का केंद्र बनाया। केरल ने निम्नलिखित उपाय किए:

वित्तीय हस्तांतरण: राज्य ने अपनी योजना राशि का 35-40% हिस्सा पंचायतों और नगरपालिकाओं को हस्तांतरित किया, जो अन्य राज्यों की

तुलना में अधिक है।

महिला सशक्तीकरण: केरल में कुदुम्बश्री कार्यक्रम ने महिलाओं को स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया। 2025 तक, कुदुम्बश्री के तहत 4.5 लाख से अधिक (SHGs) कार्यरत हैं (kudumbashree, 2025).

डिजिटल गवर्नेंस: केरल ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त किया। 2025 तक, 90% से अधिक पंचायतें ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करती हैं।

स्वच्छ भारत मिशन: केरल ने 2016 में ही खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा प्राप्त कर लिया और 2025 तक सतत स्वच्छता पर ध्यान दे रहा है।केरल की सफलता का कारण उसकी उच्च साक्षरता दर, सामाजिक जागरूकता, और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति है।

राजस्थान: प्रगति और चुनौतियाँ: राजस्थान ने पंचायती राज की शुरुआत 1959 में की, लेकिन इसका कार्यान्वयन मिश्रित रहा है। राजस्थान में स्थानीय शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं:

महिला नेतृत्व: 73वें संशोधन के बाद, राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। 2025 तक, 50% से अधिक पंचायतें महिलाओं द्वारा नेतृत्व की जा रही हैं (SEC, Raj., 2025)।

स्मार्ट विलेज पहल: राजस्थान ने 2023 में स्मार्ट विलेज कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत 1000 गाँवों को डिजिटल और बुनियादी ढांचे से जोड़ा गया।

चुनौतियाँ: राजस्थान में वित्तीय संसाधनों की कमी, सामाजिक असमानताएँ, और प्रशासनिक अक्षमता बाधक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन भी एक समस्या है।राजस्थान ने प्रगति की है, लेकिन केरल की तुलना में यह वित्तीय और सामाजिक बाधाओं से जूझ रहा है।नई विकास नीतियाँ और स्थानीय शासन2025 तक, भारत सरकार की कई विकास नीतियों ने स्थानीय शासन को प्रभावित किया है। इनमें शामिल हैं:

मार्ट सिटी मिशन: 2015 में शुरू इस मिशन ने शहरी स्थानीय निकायों को स्मार्ट बुनियादी ढांचे और डिजिटल शासन की ओर ले जाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जयपुर (राजस्थान) और कोच्चि (केरल) स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे हैं।

स्वच्छ भारत मिशन: इस मिशन ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा दिया। 2025 तक, भारत ने ODF+ और ODF++ जैसे उच्च मानकों को अपनाया है।

डिजिटल इंडिया: डिजिटल गवर्नेंस ने स्थानीय निकायों को पारदर्शी और कुशल बनाया। केरल में डिजिटल पंचायतें और राजस्थान में स्मार्ट विलेज इसका उदाहरण हैं।

आत्मनिर्भर भारत: 2020 में शुरू इस नीति ने स्थानीय निकायों को स्व-निर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन।इन नीतियों ने स्थानीय शासन को आधुनिक बनाया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी और प्रशिक्षण की आवश्यकता अभी भी चुनौतियाँ हैं।

स्थानीय शासन की चुनौतियाँ वित्तीय निर्भरता: स्थानीय निकाय अपनी आय के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर हैं। 73वें संशोधन ने करारोपण की शक्ति राज्यों को सौंपी, लेकिन अधिकांश राज्यों ने इसे लागू नहीं किया।

प्रशासनिक अक्षमता: स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित कर्मचारियों और संसाधनों की कमी कार्यान्वयन को प्रभावित करती है।

राजनीतिक हस्तक्षेप: राज्य सरकारें अक्सर स्थानीय निकायों के कार्यों में हस्तक्षेप करती हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता कम होती है।

सामाजिक असमानताएँ: जाति, लिंग, और आर्थिक असमानताएँ भागीदारी को सीमित करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का नेतृत्व अभी भी सामाजिक बाधाओं का सामना करता है।

डिजिटल विभाजन: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी ई-गवर्नेंस को लागू करने में बाधा है।

चुनाव में देरी: सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में कहा कि कई राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर नहीं हो रहे, जैसे मध्य प्रदेश में 2019-2020 के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ ।

सुधार के लिए सुझाव वित्तीय सशक्तीकरण: स्थानीय निकायों को कर संग्रह और आय सृजन के लिए अधिक अधिकार दिए जाएँ। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को बाध्यकारी बनाया जाए।

क्षमता निर्माण: स्थानीय प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

डिजिटल गवर्नेंस: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा।

महिला सशक्तीकरण: महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान और नेतृत्व प्रशिक्षण।

पारदर्शिता और जवाबदेही: सामाजिक अंकेक्षण और सूचना के अधिकार का प्रभावी उपयोग।

चुनाव सुधार: स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशानिर्देश।

निष्कर्ष:भारत में स्थानीय शासन लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने इसे संवैधानिक आधार प्रदान किया और केरल और राजस्थान जैसे राज्यों ने इसकी सफलता और चुनौतियों को दर्शाया। नई विकास नीतियों, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन और डिजिटल इंडिया, ने स्थानीय शासन को आधुनिक बनाया, लेकिन वित्तीय, प्रशासनिक, और सामाजिक बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं। सुधारों के माध्यम से, जैसे वित्तीय सशक्तीकरण, डिजिटल गवर्नेंस, और क्षमता निर्माण, स्थानीय शासन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यह न केवल ग्रामीण और शहरी विकास को गति देगा, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को भी सशक्त करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Drishti IAS(2020). पंचायती राज संस्थान. www.drishtiias.comDrishti IAS स्थानीय सरकारें, 73वाँ संविधान संशोधन, 74वाँ संशोधन अधिनियम (1992).
2. www.drishtiias.comKudumbashree (2025) Annual Report 2024&25
3. www.kudumbashree.orgPanchayati Raj Ministry. पंचायती राज मंत्रालय के बारे में. panchayat.gov.inState Election Commission
4. Rajasthan (2025) Local Election Report 2025. sec-rajasthan.gov.inTestbook पंचायती राज: इतिहास, उद्देश्य और विशेषताएं.